

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की मांगों के संबंध में श्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.10.2014 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी व संघ के पदाधिकारी उपस्थिति हुये :-

- 1- श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ०प्र०शासन।
- 2- श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, राजस्व, उ०प्र०शासन।
- 3- श्री अजय अग्रवाल, सचिव वित्त, उ०प्र०शासन।
- 4- श्री आलोक कुमार, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लेखनक।
- 5- श्री ओ० पी० आर्या, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उ०प्र० लेखनक।
- 6- श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष, उ० प्र० लेखपाल संघ।
- 7- श्री अवधेश सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री, उ० प्र० लेखपाल संघ।
- 8- श्री पुट्टी लाल यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, उ० प्र० लेखपाल संघ।
- 9- श्री अमलेश कुमार शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० लेखपाल संघ।
- 10- श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश संगठन मंत्री, उ० प्र० लेखपाल संघ।
- 11- श्री रणधीर शर्मा, प्रदेश सह सचिव, उ० प्र० लेखपाल संघ।

1625
10/11/14
381-4
87-1/11

बैठक में उ०प्र० लेखपाल संघ की चार सूत्रीय मांगें "(1)-प्रदेश के लेखपालों का प्रारम्भिक वेतनमान, वाहन भत्ता, स्टेशनरी भत्ता आदि देश के अन्य प्रान्तों जैसे- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र व उत्तराखण्ड के समान किया जाय, (2)-राजस्व निरीक्षक के 1398 नये पदों का सृजन किया जाय तथा राजस्व निरीक्षक के 25 प्रतिशत पद जो सीधी भर्ती से आरक्षित है, उसे समाप्त कर शत-प्रतिशत प्रोन्नति लेखपाल संवर्ग से सुनिश्चित किया जाय तथा वर्तमान समय में रिक्त लगभग 800 पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही किया जाय। (3)-प्रदेश में लेखपाल संवर्ग के रिक्त लगभग 8000 पदों को जनहित में अतिशीघ्र भरा जाय तथा एक हल्के से अतिरिक्त हल्कों का कार्य करने वाले लेखपालों को मानदेय दिया जाय, तथा (4)-लेखपालों की शैक्षिक योग्यता इण्टर मीडिएट से स्नातक किया जाय एवं नियुक्ति प्राधिकारी उपजिलाधिकारी के स्थान पर जिलाधिकारी नामित किया जाय" जिसके संबंध में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

(1) अ - प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है, अन्य राज्यों के समान वेतनमान दिया जाने की व्यवस्था नहीं है। अतः केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में लेखपाल संवर्ग के लेखपाल संवर्ग के समतुल्य प्रदेश के अन्य कर्मचारियों के संबंध में जो निर्णय राज्य स्तर पर प्रारम्भिक वेतनमान/ ग्रेड पे पर लिया गया है, वही निर्णय लेखपाल संवर्ग पर भी लागू है। अतः इस पर पृथक से निर्णय लिये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

(1) ब - लेखपालों द्वारा शासन/प्रशासन के विभिन्न कार्यों के सम्पादन एवं वांछित सूचनाओं को तत्काल संग्रहीत करने, दैवी आपदा, बाढ़, समाधान दिवस, तहसील दिवस, वी०आई०पी० ड्यूटी, ला एण्ड आर्डर तथा जनता दर्शन, समाधान दिवस, तहसील दिवस एवं मिसलेनियस प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु अपने निजी वाहन का प्रयोग किया जाता है, जिस पर पेट्रोल आदि में काफी व्यय भार होता है। जिसके परिपेक्ष्य में लेखपालों को देय भत्तों यथा पेट्रोल भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, विशेष भत्ता में वृद्धि पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने पर सहमति हुयी। इसके अतिरिक्त लेखपालों द्वारा किये जा रहे कार्यों (ई-डिस्ट्रिक्ट, एस. एस. डी. जी., कम्प्यूटराइज्ड खतौनी) के दृष्टिगत इन्हे लैपटॉप दिये जाने एवं सी०यू०जी० फोन दिये जाने पर विचार किये जाने पर सहमति बनी।

(2) शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों के मध्य 1:10 के अनुपातिक कम में राजस्व निरीक्षक के 1308 नये पदों का सृजन करने पर सैद्धान्तिक सहमति बनी, जिसपर शासन स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे। इन पदों का सृजन हो जाने के पश्चात् लेखपालों के पदोन्नति में Stagnation के दृष्टिगत इन 1308 पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित पदों को पोषक संवर्ग से ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा के द्वारा भरे जाने हेतु विचार किये जाने पर सहमति हुयी।

(3) लेखपालों के 8000 रिक्त पदों के भरे जाने की कार्यवाही शासन द्वारा शीर्ष प्राथमिकता के रूप में गतिमान है, जो शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी।

(4) इस बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त यह अभिमत व्यक्त किया गया कि सप्तम वेतन आयोग के समक्ष यह बात रखी जाय।

इस सम्बंध में निर्देश दिये गये कि उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव राजस्व परिषद द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाय। अन्त में संघ के पदाधिकारियों द्वारा तहसील दिवस, समाधान दिवस एवं अन्य कार्य-वहिष्कार को समाप्त करने का आश्वासन दिया गया, ताकि राजकीय व जनहित के कार्यों में अवरोध उत्पन्न न हो।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-9

संख्या: 254 / 1-9-2014-रा-9-111(लेख.सं.)/14

लखनऊ : दिनांक 07 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

- 1-- श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ०प्र०शासन।
- 2-- श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, राजस्व, उ०प्र०शासन।
- 3-- श्री अजय अग्रवाल, सचिव वित्त, उ०प्र०शासन।
- 4-- श्री आलोक कुमार, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
- 5-- श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष, उ० प्र० लेखपाल संघ।
- 6-- श्री अवधेश सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री, उ० प्र० लेखपाल संघ।

आज्ञा से,


(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव

प्राप्त।
11.55 A.M.
10.11.14
21
10.11.14